न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—174/18

1. इकराम पुत्र सुल्तान, आयु 42 वर्ष,
2. ताजुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन आयु 41 वर्ष, जातियान मुसलमान निवासीयान ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. भगवान सहाय,
2. रामकुंवार,
3. कैलाश,
4. गोपाल पुत्रान गंगाराम,
5. बरजीदेवी पत्नी श्री गंगाराम, जातियान गुर्जर, निवासीयान ग्राम माजीपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

6. गीता देवी पत्नी रामेश्वर प्रसाद यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम माजीपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

—— प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 18.07.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ के आदेश दिनांक 22.04.2018 (प्रकरण संख्या 33/2014) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज गंगाराम ने प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम अपनी भूमि खसरा नम्बर 196/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा एवं अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 196/3 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम माजीपुरा पटवार हल्का राजपुरवास ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जबकि अपीलार्थीगण ने प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से भूमि खसरा नम्बर 196/3 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.04.2014 को क्रय कर लिया था लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज गंगाराम ने जानबुझकर उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण को पक्षकार नही बनाया जिस पर अपीलार्थीगण को जानकारी होने पर अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश—1 नियम—10 सी.पी.सी. दिनांक 26.04.2014 को प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 15.07.2014 को

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से कोई रिपोर्ट प्राप्त किये बिना एवं अपीलार्थीगण को सुनवाई व जवाब का अवसर प्रदान किये बगैर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 से मिलीभगत व सांठ गांठ कर निर्णय दिनांक 22.04.2018 पीछे की तारीख में विधि विरूद्ध तौर पर पारित कर दिया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात रिकार्ड एवं तथ्यों व कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तथ्यों को न तो सही ढंग से पढ़ा, न समझा और न देखा तथा न ही कोई जांच की एवं बिना किसी आधार के गलत तथ्य अंकित कर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को कोई सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया तथा अपीलार्थीगण का कोई जवाब भी बन्द नही किया गया एवं अपीलार्थीगण को जवाब का अवसर प्रदान नही कर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय केवल प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 7/अप्रार्थी संख्या 2 के जवाब को आधार बनाया है जबकि प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 7/अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई स्पष्ट जवाब व रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड दस्तावेजात आदि प्रस्तुत नही किये है एवं इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा भी दिनांक 06.03.2017 की आदेशिका के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 7/अप्रार्थी संख्या 2 की रिपोर्ट स्पष्ट नही होने के आधार पर पत्रावली वास्ते रिपोर्ट हेतु नियत की गई लेकिन उसके पश्चात कोई रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही हुयी एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अधूरी व अस्पष्ट रिपोर्ट/जवाब को ही मानकर तथा उक्त रिपोर्ट को सही मानकर उसके आधार पर ही निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है इसलिये उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उभयपक्ष को उक्त प्रकरण में रिकार्ड ऑफ राईटस के आधार पर सुनवाई करने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से निवेदित तथ्यों व पत्रावली में अंकित कथनों व दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं राजस्व नक्शें के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण तरीके से खसरा नम्बरान का अंकन पक्षकारों के कब्जे व अधिकारों के विपरित अंकिन होने के तथ्य अंकित किये है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस सम्बन्ध में कोई जांच नही की तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस प्रकार के कोई तथ्य एवं दस्तावेजात पत्रावली पर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपलब्ध नही थी जिससे यह साबित हो कि राजस्व नक्शें में गलत अंकन हो लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान न देकर तथा उक्त सभी तथ्यों की अनदेखी कर व कोई जांच किये बिना ही उक्त निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2018 निरस्त करने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.04.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि ग्राम माजीपुरा पटवार हल्का राजपुरवास ताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 196/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा अनुसार रेस्पोडेन्ट के पूर्वज की खातेदारी व कब्जे काश्त में स्थित चली आ रही है तथा अन्य साबिक खसरा नम्बर 196/3 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट 6 की पूर्व व मूल खातेदार सुरजाराम पुत्र भरताराम जाति गुर्जर साकिन देह की खातेदारी चली आयी है जिनके राजस्व नक्शें में खसरा नम्बरान का अंकन प्रार्थी एवं अप्रार्थी के कब्जे काश्त के विपरित होने से आगे विवादित आराजी है तथा पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के कब्जे काश्तशुदा भूमि विवादित खसरा नम्बर 196/2 के राजस्व नक्शें में रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के कब्जे काश्तशुदा भूमि विवादित खसरा नम्बर 196/2 का अंकन कर दिया जो कि विवादित भूमियों के राजस्व नक्शें में खसरा नम्बरान का अंकन पक्षकारों के कब्ज काश्त के विपरित है जो कि पूर्व खातेदार सूरजाराम पुत्र भरताराम गुर्जर के पुटऑफ में रेस्पाडेन्ट संख्या 6 की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 196/3 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी अनुसार कब्जे काश्त के राजस्व नक्शें में अंकन होने से उक्त खसरा नम्बरान के त्रुटिपूर्ण अंकन से एक दूसरे के राजस्व नक्शें में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज है जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज दुरूस्त कराने का विधिक अधिकारी थे जिन्होने उक्त त्रुटि को दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने कथन किया है कि नवीन सैटलमेन्ट राजस्व नक्शे मे खसरा नम्बरान के त्रुटिपूर्ण अंकन दुरूस्त कराने हेतु दिनांक 20.05.2014 का निवेदन किया तो उन्होने उक्त प्रकार की चाही गई दुरूस्ती हेतु मना करते हुए त्रुटिपूर्ण राजस्व नक्शे अनुसार अपनी खातेदारी के आधार पर भूमि का विक्रय हस्तान्तररण करने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 को बेदखल कराते हुए लठबल पर दीगर का कब्जा कराने की धमकीयॉ दी है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज गंगाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए ही अपीलाधीन

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 22.04.2018 पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा बिन्दुवार रिपोर्ट दिनांक 02.06.16 को तैयार की गई है जिसे तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा बिना किसी प्रकार की जांच किये एवं बिना अपना अभिमत अंकित किये ही अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई गई है जिसको आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2018 पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 06.03.17 को तहसीलदार की रिपोर्ट को स्पष्ट नही मानते हुए पुनः रिपोर्ट तहसीलदार चाही गई है तत्पश्चात् बिना किसी जवाब व रिपोर्ट तहसीलदार के ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.18 पारित किया गया है जिसे विधिक प्रावधानों के अनुरूप नही माना जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए व तहसीलदार से मौके व रिकार्ड की विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की जाकर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर